



कृषि विज्ञान केन्द्र, अलवर-1, नौगांवा

(निदेशालय प्रसार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)



नौगांवा 301025, अलवर (राज0), दुरभाष-01468-294276, मो0 9424275467 Email:- kvknavaon@gmail.com

कं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2025-26/497

नौगांवा, (अलवर) दिनांक : 08.12.2025

खुली निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर पर फार्म, छात्रावास एवं कार्यालय से सम्बन्धित उपलब्ध 1000 रु. मूल्य तक की लागत के अनुपयोगी/नकारा सामग्री जिसका कुल पुस्तक मूल्य 175316 रु. है जिसकी बिक्री खुली निलामी बोली द्वारा जहाँ है, जैसा है, के अनुसार की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 16.12.2025 को दोपहर 11.30 बजे तक 1000/- नकद जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें कार्यालय सूचना पट्ट तथा वेबसाइट www.sknaau.ac.in पर देखी जा सकती है एवं बोली से पूर्व अवगत करा दी जावेगी।

1. कार्य का नाम	रु. 1000 तक की लागत के अनुपयोगी/नकारा सामग्री की खुली निलामी सूचना
2. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	दिनांक 16.12.2025 को दोपहर 11.30 बजे तक 1000/- नकद जमा कर निलामी में भाग ले सकते हैं।
3. कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत	कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा पर उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री (कुल पुस्तक मूल्य 175316 रु.)
4. अनुपयोगी सामग्री को देखने का समय	कार्यालय समय के दौरान
5. खुली निलामी की दिनांक व समय	16.12.2025 को दोपहर 12.30 बजे
6. पत्राचार हेतु पता-	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर मोबाईल नं0- 9424275467 Email:- kvknavaon@gmail.com

निलामी को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2025-26/498-504

नौगांवा, (अलवर) दिनांक :08.12.2025

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख की प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर। को भेजकर लेख की प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
4. कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि महाविद्यालय/ कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. श्रीमान तहसीलदार, रामगढ़, / सरपंच नौगांवा/मुबारिकपुर/निवाली के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
6. सस्थां सलाहकार समिति प्रभारी/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
7. रक्षित फाइल


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

निलामी की शर्तः—

1.	प्रस्तावित निलामी के लिए इच्छुक बोलीदाता कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर स्वयं उपस्थित होकर बोली से पूर्व धरोहर राशि जमा कर खुली बोली में भाग ले सकतें है।
2.	प्रस्तावित खुली निलामी कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा पर उपलब्ध 1000 रु. तक की लागत के अनुपयोगी/नकारा सामग्री "जहां है जैसा है" के अनुसार की जावेगी किसी भी प्रकार की टुट-फूट/खराब या अन्य कोई कमी पाई जाने की जिम्मेदारी कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा की नहीं होगी।
3.	उपलब्ध 1000 रु. मुख्य तक की लागत के अनुपयोगी/नकारा सामग्री में प्रक्षेत्र पर प्रक्षेत्र के फावड़ा, पंजी, खुरपी, दरांती, स्प्रेयर एवं अन्य कार्यालय अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री, किसान घर के बर्तन, दरी पट्टी, बेड शीट, कम्बल के अतिरिक्त अन्य अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री जिसकी लागत रु. 1000 तक की है की खुली निलामी से बोली द्वारा बेचान किया जावेगा।
4.	निलामीदाता को प्रस्तावित खुली निलामी की सामग्री को कार्यालय सुची के अनुसार उठाना होगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
5.	खुली निलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अन्तिम बोली स्वीकृत होने के पश्चात अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री को ले जाने की केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। तथा अपने स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।
6.	बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली स्वीकृत होने के पश्चात एवं पूर्ण राशि कार्यालय में जमा कराने के पश्चात अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ले जाना होगा।
7.	खुली निलामी अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री/सामान की अन्तिम बोली स्वीकृत होने के पश्चात बोलीदाता को निलामी बोली की कुल स्वीकृत राशि उसी समय कार्यालय में जमा कराना होगा। स्वीकृत राशि जमा नही करवाने पर बोलीदाता की जमा की धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8.	बोलीदाता द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना नही करने पर बोलीदाता की जमाशुदा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9.	बोलीदाता द्वारा निलामी राशि पर नियमानुसार जौ भी टेक्स होगा बोलीदाता को निलामी राशि के साथ देना होगा।
10.	निलामीदाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी, कार्यालय की शर्तों के अनुरूप खुली निलामी की जावेगी।
11.	निलामी में भाग लेने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं शर्तों के अनुसार सहमत होने पर भाग लेंवे।
12.	बोलीदाता द्वारा बोली में भाग लेने के लिए बोली से पुर्व कार्यालय में धरोहर राशि 1000/- (रुपर्ये एक हजार) रूपये नगद जमा कराने होगी।
13.	निलामी सम्बन्धि किसी भी प्रकार के विवाद होने पर कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
14.	अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ले जाना होगा। जौ कार्यालय समय के द्वौरान उठाना होगा।
15.	किसी भी निलामी को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
16.	निलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित है।
17.	समस्त बोलीदाताओं को अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति बोली से पूर्व धरोहर राशि के साथ जमा कराना होगा।
18.	किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर लागु होने पर बोलीदाता को जमा कराना होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता



Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष